शासनादेश संख्याः /XXVII(6)/तीन/U. 30/201

प्रेषक,

डा0 एम.सी. जोशी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
लेखा परीक्षा,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6,

देहरादूनः दिनांकः 01 अप्रैल, 2016

विषयः निदेशालय लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग का ढांचा बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 3(1) के अन्तर्गत राज्य में पूर्व में लेखा परीक्षा विभाग के संगठनात्मक ढ़ांचे हेतु किये गये शासनादेश संख्याः 463/XXVII(11)/2012, दिनांकः 27.11.2012 को अतिक्रमित करते हुए लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग के निम्नवत् ढ़ांचे को श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

लेखा परीक्षा विभाग में लिपिक संवर्ग के पदों का विवरण

क.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वेतन बैन्ड	वेतनमान	ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01	PB-3	9300–34800	4800	
2.	प्रशासनिक अधिकारी	01	PB-3	9300–34800	4600	
3.	मुख्य सहायक	02	PB-3	9300–34800	4200	
4.	वरिष्ठ सहायक	04	PB-3	5200–20200	2800	
5.	कनिष्ठ सहायक	06	PB-3	5200–20200	2000	
	कुल मिनिस्ट्रियल संवर्गीय पद	**14**				
6.	चालक	08				
7.	अनुसेवक/चतुर्थ श्रेणी	08				आउट सोर्सिंग द्वारा
	आउट सोर्सिंग पद	**16**				आउट सोर्सिंग द्वारा
	कुल पद	**30**				

2. इस क्रम में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के समय से लागू सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा संवर्ग तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संवर्ग के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत कार्मिकों के उत्तराखण्ड लेखा विभाग के अधीन एकीकरण समायोजन निम्नानुसार किया जायेगाः–

i. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग एवं सहकारिता एंव पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग में कार्यरत नियमित अनुसेवक/चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों तथा वाहन चालकों को उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विभाग

अन्तर्गत अधिसंख्य पद के सापेक्ष बनाये रखा जायेगा। इनकी सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर सम्बन्धित पद स्वतः मृत हो जायेंगे।

ii. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग एवं सहकारिता एंव पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग में कार्यरत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा विभाग में स्वीकृत पदों पर उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर वरिष्ठता कम में समायोजित किये जायेगें तथा इस प्रक्रिया के फलस्वरूप शेष कार्यरत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत कर्मी उतने अधिसंख्य पद के सापेक्ष कार्यरत रहेगें, जिनकी सेवानिवृत्त अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने के उपरान्त सम्बन्धित अधिसंख्य पद स्वतः मृत हो जायेंगे।

iii. लिपिक संवर्ग गें कार्मिकों के 14 पदों के सृजन के फलस्वरूप प्रत्येक पद (मुख्य सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक) के सापेक्ष शेष अधिक कार्मिकों का विकल्प अथवा सम्बन्धित पद पर कनिष्ठतम आधार पर अन्य विभागों में समायोजन अथवा ऐसा होने तक जिलाधिकारी कार्यालय में सम्बद्धीकरण किया जायेगा।

iv. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग एवं सहकारिता एंव पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग में कार्यरत लिपिक सवंर्ग के कार्मिकों का एकीकरण उनके अपने सवंर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर तथा तदकम में अनकी पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 एम.सी. जोशी)
सचिव, वित्त।

संख्याः 25/XXVII(6)/2016/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
7. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेजरी) देहरादून/भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(डा0 एम.सी. जोशी)
सचिव, वित्त।